मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 14, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 105 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 95 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. स्थगन प्रस्ताव

कटनी जिले के ग्राम डोकरिया बुजबुजा में राज्य शासन द्वारा उद्योग हेतु कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाना

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रदेश में जमीन अधिग्रहण के कारण किसानों की समस्याओं पर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव की सूचना को चर्चा हेतु ग्राह्य करने की मांग की गई । श्री शिवराज सिंह चौहान, सदन के नेता (मुख्यमंत्री) द्वारा स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य कर तत्काल चर्चा प्रारम्भ करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य कर तत्काल चर्चा प्रारम्भ करने की अनुमति दी गई । तदनन्तर स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त 17 सूचनाओं में से डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की पहली प्राप्त सूचना को पढ़ा गया ।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था :

स्थगन प्रस्ताव की चर्चा विषय वस्तु तक ही सीमित रखी जाने विषयक

डॉ. गोविन्द सिंह एवं विपक्ष के सदस्यगण द्वारा चर्चा के दौरान कटनी जिले के अतिरिक्त प्रदेश के भूमि अधिग्रहण संबंधी अन्य प्रकरणों का भी उल्लेख करने पर, श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री, श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज मंत्री द्वारा आसंदी से इसी विशिष्ट एवं तात्कालिक घटना पर ही चर्चा कराने का अनुरोध किया गया ।

अत: इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था दी गई कि - ''लोक महत्व के विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के संबंध में विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 53 में प्रावधान है और नियम 53 से 58 तक स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता और उस पर चर्चा के प्रावधान दिये गये हैं । नियमावली के नियम 53 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि – ''अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा के प्रयोजन से सभा के कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति से किया जा सकेगा ।'' इसी संबंध में नियमावली के नियम-55, 55 (2) और 55 (3) में भी निश्चित विषय पर चर्चा की मांग संबंधी यह प्रावधान किया गया है कि :-

''55 (2) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी ।

55 (3) प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा ।''

चूंकि अन्य विषयों पर पूर्व में सदन में चर्चा हो चुकी है इस लिए उन पर आज पुन: चर्चा नहीं हो सकती है । स्थगन प्रस्ताव में एक ही तात्कालिक घटना पर चर्चा होती है अत: इसी विषय वस्तु पर बहस को सीमित रखा जाए ।''

4. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पर अपना भाषण पूर्ण किया।
(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने अपना भाषण प्रारम्भ किया।

5. अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमशः)

श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर अपने भाषण में इस विषय की भूमिका सम्बन्धी उल्लेख करने पर, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सदस्यगण द्वारा आसंदी का ध्यान आकर्षित किया गया। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा मंत्री महोदय से उनका भाषण स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु तक ही सीमित रखने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही, आसंदी द्वारा यह भी कहा गया कि सदन की मान्य परम्परा के अनुसार, अध्यक्षीय व्यवस्था के पश्चात् बिना अनुमति सदस्यों द्वारा टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

6. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने अपना भाषण पूर्ण किया। स्थगन प्रस्ताव पर निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

(3) श्री संजय पाठक
(4) श्री विश्वास सारंग
(5) श्री बिसाहूलाल सिंह
(6) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री
(7) श्री आरिफ अकील
(8) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(9) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(10) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री
(11) श्री रामनिवास रावत
(12) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार
(13) डॉ. कल्पना परूलेकर
(14) श्री मोती कश्यप
(15) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(16) श्री रामलाल मालवीय
(17) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(18) श्री अभय कुमार मिश्रा
(19) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष
(20) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 3.38 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 15, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 14 दिसम्बर, 2012